बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संख्या – 01/भू0अ0नि0(13)प्रमाण पत्र सत्यापन(OPJS)–11/2023 577 पटना, दिनांक:– 31/01/2024

आदेश

बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम अन्तर्गत नवसृजित संविदा पद पर विज्ञापन संख्या –01/2019 के आलोक में मो0 अतहर हुसैन, पिता–मो0 असलम हुसैन, हुसैन मंजील, नियर–सोहेल मैरेज हॉल, एफ0सी0आई0 खलीलपूरा रोड, फुलवारीशरीफ, पटना को विशेष सर्वेक्षण अमीन के संविदा पद पर नियोजित करते हुए निदेशालय पत्रांक 10680 दिनांक 01.09.2020 के द्वारा बंदोबस्त कार्यालय, लखीसराय में पदस्थापित किया गया है।

नियोजित विशेष सर्वेक्षण कर्मियों के प्रमाण पत्र का सत्यापन संबंधित विश्वविद्यालयों से कराया जा रहा है। मो0 अतहर द्वारा नियोजन के समय प्रस्तुत डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग प्रमाण पत्र का सत्यापन संबंधित विश्वविद्यालय OPJS University, Churu, Rajasthan से कराया गया है। OPJS University, Churu, Rajasthan के पत्रांक OPJS/Admin/504/160 दिनांक 27.09.2023 द्वारा भेजे गये सत्यापन प्रतिवेदन में इनके प्रमाण पत्र को "Found False" अंकित किया गया है।

उक्त विश्वविद्यालय से प्राप्त प्रमाण पत्र के सत्यापन प्रतिवेदन के आलोक में भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के पत्रांक 9076 दिनांक 30.11.2023 द्वारा फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नियोजन प्राप्त करने के फलस्वरूप मो0 अतहर से 03 दिनों के अन्दर स्पष्टीकरण की मांग की गयी है। इनके द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया है। इनके द्वारा स्पष्टीकरण में अंकित किया गया है कि विश्वविद्यालय का पूर्णरूपेण फीस जमा नहीं करने के कारण इनके प्रमाण पत्र को "Found False" अंकित किया गया है। साथ ही प्रमाण पत्र की पुनः जांच कराने का अनुरोध किया गया है।

विश्वविद्यालय से प्राप्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं मो0 अतहर से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा की गयी है। स्पष्टीकरण में इनके द्वारा उल्लेख किया गया है कि विश्वविद्यालय का पूर्णरूपेण फीस जमा नहीं करने के कारण इनके प्रमाण पत्र को "Found False" अंकित किया गया है। इनका स्पष्टीकरण तर्कसंगत नहीं है। चूंकि यदि विश्वविद्यालय का पूर्णरूपेण फीस इनके द्वारा जमा नहीं किया गया होता तो इन्हें मूल प्रमाण पत्र निर्गत ही नहीं किया जाता, परन्तु इनके द्वारा नियोजन के समय औपबंधिक प्रमाण पत्र के साथ मूल प्रमाण पत्र भी समर्पित किया गया है। साथ ही किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा मात्र फीस जमा नहीं करने के कारण किसी छात्र के प्रमाण पत्र को फर्जी अंकित नहीं किया जा सकता है। मो0 अतहर द्वारा अपने स्पष्टीकरण के साथ कोई ऐसा साक्ष्य नहीं दिया गया है, जो इनपर लगे आरोपों को खंडित करता हो। उपरोक्त से स्पष्ट है कि इनके द्वारा डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग का फर्जी प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर नियोजन प्राप्त किया गया है।

अतः फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नियोजन प्राप्त करने के फलस्वरूप नियोजन हेतु प्रकाशित "Term of Assignment" की कंडिका–4(vi) में निहित प्रावधान के आलोक में मो0 अतहर हुसैन, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN02651) का संविदा नियोजन समाप्त किया जाता है।

(जय सिंह) 31/1/24
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप
कृ0पृ0उ0

ज्ञापांक :– 01/भू0अ0नि0(13)प्रमाण पत्र सत्यापन(OPJS)–11/2023 577 **पटना, दिनांक** :- 31/01/2024

प्रतिलिपि :– मो0 अतहर हुसैन, विशेष सर्वेक्षण अमीन(AEN02651), पिता–मो0 असलम हुसैन, हुसैन मंजील, नियर–सोहेल मैरेज हॉल, एफ0सी0आई0 खलीलपूरा रोड, फुलवारीशरीफ, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 01/भू0अ0नि0(13)प्रमाण पत्र सत्यापन(OPJS)–11/2023 577 **पटना, दिनांक** :- 31/01/2024

प्रतिलिपि :– बंदोबस्त पदाधिकारी, बंदोबस्त कार्यालय, लखीसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेश दिया जाता है कि मो0 अतहर से तुरन्त सारे अभिलेख/दस्तावेज प्राप्त कर लिया जाय एवं इनके द्वारा नियोजित रहते हुए प्राप्त की गयी मानदेय की राशि की वसूली करना सुनिश्चित किया जाय। साथ ही फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नियोजन प्राप्त करने एवं अन्य संगत धाराओं के तहत इनके विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करना सुनिश्चित करें।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 01/भू0अ0नि0(13)प्रमाण पत्र सत्यापन(OPJS)–11/2023 577 **पटना, दिनांक** :- 31/01/2024

प्रतिलिपि :– श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, भू–अभिलेख एवं परिमाप को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं निदेशालय अन्तर्गत R2R Software में संधारित मो0 अतहर की व्यक्तिगत संचिका में संधारित करने हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप